न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जिला जोधपुर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री नेमा राम, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 27/2024
जीसीएमएस नं. :– 2024/44

प्रार्थीगण :–
1.राधा पत्नि लक्ष्मणदास जति साद निवासी जाटियावास तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर राज.।

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपाडशहर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित अधिवक्ता
1. बक्तावरसिंह जाखड़ प्रार्थीया की ओर से
2. तहसीलदार पीपाड़ शहर अप्रार्थी ।

दर्ज दिनांक :–06/02/2024

निर्णय

दिनांक :– 27/04/2026

प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद्ध जमीन ग्राम जातियवास की सीमा में आयी हुई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
67	225	3.7457 हैक्टयर	बोरानी प्रथम
कुल खसरा 1 कुल रकबा		3.7457 हैक्टयर	
148	195	0.0243 हैक्टयर	गै.मु.तेड़
	196	1.1562 हैक्टयर	बा. द्वितीय
	197	0.9465 हैक्टयर	बा. द्वितीय
	197/1	0.0405 हैक्टयर	गै.मु.तेड
	301	4.1987 हैक्टयर	बारानी प्रथम
कुल खसरा 05 कुल रकबा		6.3669 हैक्टयर	

सबूत मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 तक संलग्न पेश है। उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी कब्जासूद जमीन है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 225 रकबा 3.7457 हेक्टयर मे प्रार्थीया का 1/72 वां हिस्सा है तथा खसरा नम्बर 195, 196, 197, 197/1, 301 कुल खसरा 05 कुल रकबा 6.3669 हेक्टयर मे प्रार्थीया का 1/72 वां हिस्सा है । उक्त वादग्रस्त आराजी के अलावा प्रार्थीया को ग्राम जाटियावास की सीमा में खेत खसरा नम्बर 230 रकबा 7.8635 हैक्टेयर आयी हुई है जिसमे प्रार्थीया का 1/36 वां हिस्सा है। प्रार्थीया का नाम राधा पत्नि लक्ष्मणदास है लेकिन राजस्व रेकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

वादग्रस्त आराजी मे प्रार्थीया का नाम राधा पुत्री लक्ष्मणदास से राजस्व कर्मचारियों की त्रुटिवंश गलत रूप से इन्द्राज कर दिया जबकि प्रार्थीया राधा पत्नि लक्ष्मणदास है। प्रार्थीया के पति का नाम लक्ष्मणदास है लेकिन वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीया का नाम राधा पुत्री लक्ष्मणदास से त्रुटिवंश गलत रूप से इन्द्राज कर दिया जबकि खसरा नम्बर 230 मे प्रार्थीया का नाम राधा पत्नि लक्ष्मणदास दर्ज है इसलिए वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकार्ड दुरुस्त करवाया जाकर राधा पुत्री लक्ष्मणदास के स्थान पर दुरुस्ती फरमायी जाकर राधा पत्नि लक्ष्मणदास इन्द्राज किया जाने का आदेश फरमावे ।

हमने प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को समन जारी किय गये। अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा न्यायालय में पेश रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया के राजस्व ग्राम जाटियावास में खसरा संख्या 225, 195, 196, 197, 197/1, 301 में राधा पुत्री लक्ष्मणदास के स्थान पर राधा पत्नी लक्ष्मणदास दर्ज किये जाने की अनुशंषा की जाती हैं।

हमने पक्षकारान् की बहस सुनी, वकील प्रार्थी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम जाटियावास में खसरा संख्या 225, 195, 196, 197, 197/1, 301 में राधा पुत्री लक्ष्मणदास के स्थान पर राधा पत्नी लक्ष्मणदास दर्ज किये जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली, पत्रावली पर मौजूद दस्तावेज का अवलोकन एवं बहस पक्षकारान पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है राजस्व ग्राम जाटियावास में खसरा संख्या 225, 195, 196, 197, 197/1, 301 में राधा पुत्री लक्ष्मणदास के स्थान पर राधा पत्नी लक्ष्मणदास राजस्व रेकर्ड में आवश्यक अमलदरामद की कार्यवाही करें।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 27/04/2026 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर